रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05032022-233947
SG-DL-E-05032022-233947

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---|---|---|
| सं. 131] | दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/फाल्गुन 13, 1943 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 491 |
| No. 131] | DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943 | [N. C. T. D. No. 491 |


## भाग IV
## PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### पर्यावरण एवं वन विभाग

### अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2022

**फा. सं. 10(176)/पर्या0/2014/पार्ट फाइल/8162.**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जिसे माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 का नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं0 एस.ओ 667 (ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उन सभी व्यक्तियों के जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी हेतु जारी करने का प्रस्ताव किया है तथा एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जायेगा।

उक्त निर्दिष्ट समाप्ति अवधि से पूर्व उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा। इस प्रारूप अधिसूचना के संबंध में आपत्तियां या सुझाव, प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, छठा तल, 'सी'–विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को संबोधित किये जा सकते हैं अथवा ई–मेल आई.डी– senv@nic.in पर भेजे जा सकते हैं।

## प्रारूप अधिसूचना

जबकि, दिल्ली वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है तथा कुछ महीनों के दौरान कण प्रदूषण (पीएम 2.5 और पीएम 10) जैसे प्रदूषकों का स्तर परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों से बहुत अधिक हो गया है।

और जबकि, वायु प्रदूषण नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है तथा शोध दर्शाते हैं कि संवेदनशील जन समुदाय विशेष रूप से बच्चे गंभीर वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते है, जिसमें श्वसन संबंधी समस्याएं और त्वचा संबंधी रोग शामिल है।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आस–पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिनांक 16.11.2021 को जारी अपने निर्देश संख्या 44 के अंतर्गत विशेष रूप से एनसीआर में पीयूसी के बिना प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही को रोकने तथा मुख्य रूप से पेट्रोल पंपों पर पीयूसी के लिए जांच करने का निर्देश दिया है ताकि खाली सड़कों पर भीड़ को रोका जा सके।

और जबकि, प्रदूषण नियंत्रणाधीन (पीयूसी) प्रमाण पत्र वाहनों के टेल पाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु पंजीकृत पीयूसी केंद्रों के माध्यम से जारी किए गए वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है तथा वाहनों के प्रदूषण की निगरानी करने और उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार वाहनों की फिटनेस को प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण है।

और जबकि, पेट्रोल पम्पों में लक्षित होने पर प्रदूषण मानदंडों का प्रवर्तन अधिक प्रभावी पाया गया है तथा संख्याओं में और सुधार करने हेतु ईंधन पंपों पर पीयूसीसी प्रवर्तन को और अधिक सुदृढ़ करने की कार्यनीति को दूरगामी लाभों के लिए दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है।

अब इसलिए, उपर्युक्त को ध्यान में रखकर, दिनांक 10.09.1992 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एसओ 667 (ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यापक जनहित में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं–

वाहनों के टेल पाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोल/डीजल/सीएनजी पंपों के सभी डीलरों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र (पीयूसीसी) को प्रस्तुत करने पर ही मोटर वाहनों को पेट्रोल/डीजल/सीएनजी वितरित करें/बेचें।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रिलायंस पेट्रोलियम), अन्य पेट्रोल/डीजल/सीएनजी पंप/स्टेशन तथा आयुक्त, परिवहन विभाग, दिल्ली पूर्वोक्त दिशा–निर्देशों को अक्षरशः कार्यान्वित करेंगे। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत दंडनीय होगा, जिसमें पांच साल तक की कैद और/ या जुर्माना शामिल है, जिसे एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं। अनुलग्नक–I के अनुसार की गई कार्रवाई की त्रैमासिक रिपोर्टों को संलग्न प्रारूप में पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई–मेल आईडी senv@nic.in पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव

**अनुलग्नक–I**

पेट्रोल/डीजल/सीएनजी के वितरण/विक्रय हेतु अनिवार्य पीयूसीसी, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, की धारा 5 के अंतर्गत दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक रिपोर्ट हेतु रिर्पोटिंग प्रोफार्मा–

| माह | ईंधन भरने के लिए पेट्रोल पंपों में प्रवेश करने वाले वाहनों की कुल संख्या (क) | वैध पीयूसीसी के साथ वाहनों की कुल संख्या (क में से) | पीयूसीसी अवैध/न होने पर वाहनों की कुल संख्या (क में से) | ईंधन देने के लिए मना करने वाले वाहनों की कुल संख्या (क में से ) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd March, 2022

**F. No. 10(176)/ENV/2014/Pt-fl/8162.—**The following draft notification which the Hon`ble Lieutenant Governor, Government of National Capital Territory of Delhi proposes to issue in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 667 (E) dated the 10th September, 1992 read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Hon`ble Lieutenant Governor, Government of NCT of Delhi on or after the expiry of sixty days from the date of publication of this Notification in the official Gazette.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft Notification before the expiry of the period so specified shall be considered. Objections or suggestions to this draft Notification may be addressed to the Principal Secretary, Department of Environment, Government of National Capital Territory of Delhi, 6th Level, 'C' –Wing, Delhi Secretariat, I.P Estate, New Delhi-110002 and on e-mail at senv@nic.in.

**DRAFT NOTIFICATION**

*Whereas, Delhi faces air pollution concerns and level of pollutants like Particulate Matter Concentration ($PM_{2.5}$ and $PM_{10}$) goes much beyond the prescribed standards for Ambient Air Quality during certain months.*

*And whereas air pollution affects severely the health of citizens and research has shown that vulnerable population especially children are more susceptible to diseases occurring due to severe air pollution including respiratory problems and cutaneous diseases.*

*And whereas the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas had vide its direction no. 44 issued on 16.11.2021 has specifically directed to stop plying of visibly polluting vehicles and vehicles without PUC in NCR and to primarily carry out checks for PUC at the petrol pumps so as to obviate congestion on free roads.*

*And whereas Pollution Under Control (PUC) certificate is an important instrument for vehicles issued through registered PUC centres to control vehicular tail pipe emissions and are crucial in monitoring vehicular pollution and certifying fitness of vehicles as per emission norms.*

*And whereas, the enforcement of pollution norms has been found to be more efficacious when targeted at Petrol Pumps, and to improve the numbers further, the strategy to further strengthen PUCC enforcement at fuel pumps needs to be strongly enforced for far reaching benefits.*

*Now, therefore, in view of the above, in exercise of the powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with notification No. SO 667 (E) issued by Ministry of Home Affairs, Government of India dated 10.09.1992, following direction is hereby issued in larger public interest:*

*To control vehicular tail pipe emissions, all the dealers of the petrol/ diesel/ CNG pumps are directed to dispense/sell the petrol/ diesel/ CNG to motor vehicles only on production of valid Pollution under Control Certificate (PUCC) with immediate effect.*

*The Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Indraprastha Gas Limited, Reliance Industries Limited (Reliance Petroleum), other petrol/ diesel/ CNG pumps/stations and Commissioner, Transport Department, Delhi shall implement the aforesaid directions in letter and spirit. The violation of the directions issued under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 or the rules made there under shall be punishable under Section 15 of the said Act which includes imprisonment up to five years and / or with fine which may extend to Rs. One Lakh or with both. Quarterly action taken reports as per Annexure-I are required to be submitted to Department of Environment, Government of National Capital Territory of Delhi on email ID: senv@nic.in in annexed format.*

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor,
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy.

**Annexure-I**

Reporting Performa for quarterly report on implementation of Direction u/s 5 of Environment (Protection) Act, 1986 mandating PUCC for dispensing / selling of Petrol / Diesel / CNG.

| Month | Total No. of vehicles entering petrol pumps for refueling (A) | Total No. of vehicles with valid PUCC [out of (A)] | Total No. of vehicles with invalid/ No PUCC [out of (A)] | Total No. of vehicles refused Fuel [out of (A)] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.05 14:09:17 +05'30'